17.09.2025

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

बीमा कंपनियों के सीईओएस के साथ बैठक
Meeting with CEOs of Insurance Companies

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बुधवार, 17 सितंबर 2025 को आईआरडीएआई प्रधान कार्यालय में बीमा उद्योग के सीईओएस और नियुक्त बीमांककों के साथ एक विस्तृत विचार-विमर्श का आयोजन किया। श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

उक्त विचार-विमर्श पालिसीधारक संरक्षण को मजबूत करने और उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि पर संकेन्द्रित रहे। विपुल आर्थिक महत्व से युक्त अगली पीढ़ी के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा जीएसटी से जीवन और स्वास्थ्य बीमा को हाल में दी गई छूट का सभी के द्वारा स्वागत किया गया। बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वे इस राहत का पूरा लाभ आगे पालिसीधारकों तक बढ़ाएँ।

बीमा उद्योग और पालिसीधारकों से की जा रही इस पुरानी माँग का पूर्णतः समाधान किया गया है। अब यह उद्योग की बारी है कि जनसाधारण के विभिन्न खंडों और आर्थिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों की वहनीयता, पहुँच और उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार लाने में तेजी लाई जाए। श्री सेठ ने इस बात पर बल दिया कि उक्त छूट से बीमाकर्ताओं के लिए कवरेज, व्यापन और उत्पाद प्रस्ताव में वृद्धि करने के लिए एक बड़ा अवसर खुलनेवाला है। श्री सेठ ने कहा कि “यह 2047 तक सर्वव्यापी कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है”।

चर्चाओं में शहरी केन्द्रों से बाहर व्यापन को विस्तृत करने और ग्रामीण जनता और असंगठित क्षेत्र तक पहुँचने तथा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में दायित्व पूरे करने से भी आगे जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयाँ शामिल थीं। दावों का निपटान समय पर और कुशल तरीके से करने और शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ और अधिक अनुक्रियाशील बनाने सहित, असुरक्षित वर्गों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा

योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपाय करने की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया।

इस बैठक में अपेक्षा (सलसिटेशन), जोखिम अंकन, पालिसी सर्विसिंग और दावा पद्धतियों में एकरूप मानक स्थापित करने में सहायता करते हुए—न्यायालयों के अधिनिर्णयों की जाँच करने और उनसे सीख प्राप्त करने के लिए जीवन परिषद में एक स्थायी मंच का निर्माण करने के साथ ही, बाजार व्यवहार, अनुपालन, जोखिम प्रबंध, और आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों के लिए सेवा मानकों को आगे और मजबूत करने और स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

अपनी समापन टिप्पणी में श्री सेठ ने कहा, "इन कदमों का उद्देश्य बीमा को अधिक सरल और अधिक समावेशी बनाते हुए विश्वास का निर्माण करना और पहुँच को व्यापक बनाना है। *2047 तक विकसित भारत* की परिदृष्टि द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, इस क्षेत्र को अधिक मजबूत संरक्षण, नवोन्मेषण, वहनीयता, और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में योगदान करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस बृहत्तर राष्ट्रीय आकांक्षा में *2047 तक सबके लिए बीमा* का लक्ष्य निहित है—जो सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक के पास पर्याप्त जीवन, स्वास्थ्य, और संपत्ति कवर हो, तथा देश भर में उद्यमों की सुरक्षा सुदृढ़ बीमा समाधानों के साथ की जाए, तथा इसके द्वारा एक आघातसह, सुरक्षित और सशक्त भारत के लिए बुनियाद रखी जाए।"

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) held a detailed interaction with the insurance industry CEOs and Appointed Actuaries at IRDAI Head Office on Wednesday, 17th September 2025. Mr. Ajay Seth, Chairperson, IRDAI presided over the meeting.

The deliberations focused on strengthening policyholder protection and orderly growth of the industry. The recent exemption of life and health insurance from GST by the Government of India, as a part of the next-generation indirect tax reforms with huge economic importance, was welcomed by all. Insurers were advised to ensure that the full benefit of this relief is passed on to policyholders.

This long-standing demand from the insurance industry and policyholders has been addressed in its entirety. Now it is the industry's turn to step up to significantly improve affordability, accessibility and availability of insurance products suitable for different segments of the population and economic entities. Mr. Seth emphasized that exemption would open-up a big opportunity for insurers to increase coverage, penetration, and enhance product proposition. "It is a great step towards achieving universal coverage by 2047", Mr Seth said.

Deliberations covered steps required to expand penetration beyond urban centres and reach out to the rural population and the unorganized sector and going beyond fulfilling obligations in rural and social sectors. Special attention was drawn towards expanding the coverage of government sponsored insurance schemes for vulnerable sections, taking measures to improve service quality, including claims settlement in timely and efficient manner, and making grievance redressal mechanism robust and more responsive.

The meeting also underscored the need to further strengthen and establish service standards for market conduct, compliance, risk management, and internal audit functions, along with creating a standing forum at the Life Council to examine Court awards and derive learnings—helping establish uniform standards in solicitation, underwriting, policy servicing and claims practices.

In his concluding remarks Mr. Seth said “These steps are aimed at building trust and widening access, making insurance simpler and more inclusive. Guided by the vision of *Viksit Bharat by 2047*, the sector has to advance towards stronger protection, innovation, affordability, and contributing towards nation building. Within this larger national aspiration lies the goal of *Insurance for All by 2047*—ensuring every citizen has adequate life, health, and property cover, and enterprises across the country are safeguarded with robust insurance solutions, and thereby laying the foundation for a resilient, secure and empowered India.”

***